न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार, R.T.S.

मिसल नं. ::: 19/2021

सरकार बनाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह, रोहनसिंह पुत्र कृष्ण सिंह, श्रवण सिंह पुत्र सुलतान सिंह, जाति–राजपूत, निवासी– मोरवा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 07.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान भूपेन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह, रोहनसिंह पुत्र कृष्ण सिंह, श्रवण सिंह पुत्र सुलतान सिंह, जाति–राजपूत, निवासी– मोरवा द्वारा रोही मौजा मोरवा की राजकीय भूमि ख.नं. 96 रकबा 16.30 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.15 है0 भूमि में से 0.14 है0 भूमि पर बाड़ा बनाकर एवं 0.01 है0 भूमि पर टीन शैड बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अपना पुराना कब्जा बताया है। गैर सायलान ने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किया, जिससे उसका कब्जा विधिक साबित होता हो। अतः गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 45 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं......11......पर वर्ष 2021-22 में रुपये...45/-... कायम किए

राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
तहसीलदार, सूरजगढ़